कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

D3(S)/80-7

नगर विकास एवं आवास विभाग
15 JUL 2013
बिहार सरकार, पटना

सं0. एल0 ए0 /एस0 एस0 –1/श0 स्था0 नि0/14558/1265 दिनांकः–

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

50-7

महाशय,

नगर पंचायत मनेर के वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 543/12–13 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,
05/07/13
लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

3670(S) 18/7/13

1918

120 22/7/13

(10)

नगर पंचायत, मनेर
अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 543/12-13
(अवधि -2010-11 तथा 2011-12)

1.प्रस्तावना

नगर पंचायत, मनेर का वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2011-12 तक के लेखाओं की नमूना जाँच महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, स्थानीय लेखा-परीक्षा शाखा, पटना के लेखा-परीक्षा दल द्वारा दिनांक 15.10.2012 से 20.10.2012 की अवधि में किया गया।

2.प्रशासन

क0सं0	नाम	अवधि
	अध्यक्ष	
1	श्रीमति अंजु देवी	1.4.10 से 31.3.12
	उपाध्यक्ष	
1	श्री रविन्द्र कुमार	1.4.10 से 31.3.12
	कार्यपालक पदाधिकारी	
1	श्री आनन्द बिहारी झा	1.4.10 से 30.7.10
2	श्री अनिल कुमार	30.7.10 से 31.3.12

3.लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

नमूना लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट-I में तथा अनुपलब्ध या असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट-II में दी गयी है।

4.पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में लंबित कंडिकाओं के निष्पादन के लिए नगर पंचायत को बार-बार मौखिक एवं लिखित रूप से अनुरोध किया गया, परन्तु नगर पंचायत द्वारा कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए गऐ, जिससे कंडिकाओं का निष्पादन अंकेक्षण के दौरान नहीं किया जा सका।

अतः लंबित कंडिकाओं के निष्पादन के लिए उचित कदम उठाए जाए, ताकि लेखा परीक्षा का प्रयोजन सफल हो सके।

5.आन्तरिक लेखापरीक्षा

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–97 के अंतर्गत आंतरिक लेखापरीक्षा का प्रावधान किया गया है तथा बिहार नगरपालिका लेखा नियम 1928 के नियम 20, 30, 60 तथा 64 में यह व्यवस्था की गई है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कार्यपालक पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा नियमित रूप से आय एवं व्यय संबंधित अभिलेखों की आंतरिक जाँच की जायेगी ताकि किसी प्रकार की अनियमितता से बचा जा सके एवं रोकड़ बही का संधारण ठीक ढंग से किया जा सके। लेकिन नगर पंचायत, मनेर द्वारा आंतरिक जाँच नहीं किया गया। फलतः नगर पंचायत के लेखाओं की नमूना जाँच में कई अनियमितताएँ पायी गई जिसे प्रतिवेदन के अगले कंडिकाओं में दर्शाया गया है। यदि नगर पचायत द्वारा आन्तरिक जाँच कराया गया होता तो वर्णित अनियमितताओं से बचा जा सकता था। अतः नगर पंचायत प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए यह सलाह दी जाती है कि नियमित रूप से आंतरिक जाँच की व्यवस्था की जाय ताकि भविष्य में वित्तीय अनियमितताओं से बचा जा सके।

6.अंकेक्षण की मुख्य उपलब्धि

क0 सं0	विषय	राशि(₹ लाख में)	पॉरा सं0
1	निधि का अवरोधन	29.19	12
2	विविध रसीदों से प्राप्त राशि से कम जमा	0.02722	15
3	बकाया होल्डिंग कर इत्यादि की वसूली नही	18.33	16
4	एच. रसीदों से प्राप्त राशि का नगर पंचायत कोष में कम जमा/जमा न किया जाना	0.35	17
5	अल्प लागत स्वच्छता योजना (आई0एल0सी0एल0) के अन्तर्गत शुष्क शौचालयों को जलवाही शौचालय में परिवर्त्तन/ निर्माण	204.03	18
6	श्रम उपकर की कटौती नहीं की गई	0.68	19
7	रॉयल्टी, वैट इत्यादि की राशि संबंधित विभाग	5.31	20

	में जमा नहीं कराया जाना		
8	योजनाओं के कियान्वयन पर अधिक भुगतान	0.07	21
9	बिना पंजीकरण शुल्क जमा किये संचार मीनारों की स्थापना	24	22
10	पूर्व वर्ष की बंदोबस्ती से कम राशि पर सैरातों की बंदोवस्ती करने से राजस्व की हानि	10.5	23
11	बंदोबस्तधारी से मुद्रांक शुल्क की वसूली नहीं	1.35	24

7.बजट

बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा 82 के तहत प्रत्येक आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन तैयार किया जायेगा,जिसे धारा 82 की उपधारा (5) के तहत पार्षद द्वारा नगरपालिका के समक्ष पेश किया जायेगा। धारा 83(3) के तहत स्थायी समिति इस तरह तैयार बजट की जाँच करेगी, तथा धारा 84 के तहत नगर पंचायत सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा के साथ 15 मार्च तक बजट प्राक्कलन को अंगीकार कर मंजुरी के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग को प्रस्तुत करेगी, जिसे परिवर्तन या बिना परिवर्तन के स्वीकृत कर 31 मार्च से पहले नगर पंचायत को वापस लौटायेगी।

परन्तु अंकेक्षण के दौरान नगर पंचायत, मनेर प्रशासन द्वारा न तो बजट प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया और न ही यह बताया गया कि बजट प्राक्कलन बनाया गया है या नहीं।

अतः नगर प्रशासन को यह सुझाव दिया जाता है कि प्रतिवर्ष नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार किया जाए एवं सरकार के समक्ष स्वीकृत करने के लिए प्रस्तुत किया जाए।

8.वार्षिक लेखा

बिहार मुनिसिपल एकाउन्ट्स नियम–1928 के नियम–82 से 84 के तहत यह प्रावधान है कि वार्षिक लेखा प्रतिवर्ष तैयार करना है।

98

परन्तु नगर पंचायत, मनेर प्रशासन द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया था। जिसके कारण आय एवं व्यय की शीर्षवार वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल सका।

अतः वर्ष 2010-11 से 2011-12 का वार्षिक लेखा तैयार कर अगले अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

9.सरकारी अनुदान

नगर पंचायत, मनेर द्वारा अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था। परंतु विभिन्न रोकड़ बहियों में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार लेखापरीक्षा अवधि में कुल ₹ 27295676/- अनुदान प्राप्त हुआ। (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट सं0-III पर दर्ज है।)

अनुदान पंजी के संधारण नहीं होने से इसकी जाँच नहीं हो सकी कि अनुदानों की राशि उसी मद मे खर्च की गई जिसके लिए यह सरकार द्वारा नगर पंचायत को प्रदान की गई थी। अनुदान पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाए।

10. <u>अधिदृश्यः-</u>

नगर पंचायत की निधि सरकार के अनुदान एवं राजस्व से सम्पोषित है। नगर पंचायत की निधि को विभिन्न बैंको एवं ट्रैजरी के खाताओं में रखा गया था तथा उन पर हुए आय-व्यय का लेखा-जोखा अलग-अलग रोकड़ बहियों में संधारित किया गया था। नगर पंचायत की निधियों की वित्तीय स्थिति निम्नांकित हैः-

1. रोकड़ बही (पी.एल.एकाउन्ट)

1. वर्ष	2010-11	2011-12
2. प्रारंभिक शेष	5840449	8823396
3. अनुदान	6246631	10630211
4. ब्याज आदि	-	-
5. योग (3+4)	6246631	10630211
6. कुल प्राप्ति (2+5)	12087080	19453607
7. व्यय	3263684	2688375
8. अंतशेष (6-7)	8823396	16765232

कोषगार पास बुक के अनुसार अंतशेष (31.3.12):- ₹16765232

2. रोकड़ बही (बी. आर.जी.एफ.)

1. वर्ष	2010-11	2011-12
2. प्रारंभिक शेष	3352890	4875080
3. अनुदान	1669250	3244344
4. ब्याज आदि	78102	236221
5. योग (3+4)	1747352	3480565
6. कुल प्राप्ति (2+5)	5100242	8355645
7. व्यय	225162	2831173
8. अंतशेष (6-7)	4875080	5524472

बैंक पास बुक के अनुसार अंतशेष (31.3.12):-

1. केनरा बैंक(A/c 140510102513 2):- ₹5021105
2. बैंक ऑफ इंडिया (A/c 26294):- ₹503367

₹5524472

3. रोकड़ बही (प्रशासनिक भवन निर्माण)

1. वर्ष	2010-11	2011-12
2. प्रारंभिक शेष	895789	35042
3. अनुदान	..	..
4. ब्याज आदि	39253	701880
5. योग (3+4)	39253	701880
6. कुल प्राप्ति (2+5)	935042	736922
7. व्यय	900000	700000
8. अंतशेष (6-7)	35042	36922

196

4. रोकड़ बही (बी. पी.एल.)

1. वर्ष	2010-11	2011-12
2. प्रारंभिक शेष	15697	15697
3. अनुदान	–	–
4. ब्याज आदि	–	–
5. योग (3+4)	–	–
6. कुल प्राप्ति (2+5)	15697	15697
7. व्यय	–	5000
8. अंतशेष (6-7)	15697	10697

प्रशासनिक भवन निर्माण तथा बी.पी.एल. की राशि बैंक ऑफ इंडिया मनेर के खाता सं. 22914 में रखी गई थी जिसका 31.03.12 को अंतशेष ₹47510.00 था।

रोकड़ बहियों के अनुसार अंतशेष (31.3.12) :-

प्रशासनिक भवन निर्माण :- ₹36922

बी0पी0एल0:- ₹10697

₹47619

रोकड़ बहियों तथा बैंक पासबुक में अन्तरः-47619-47510=109

5. रोकड़ बही (12वाँ वित्त आयोग)

1. वर्ष	2010-11	2011-12
2. प्रारंभिक शेष	1157338	1157338
3. अनुदान	--	--
4. ब्याज आदि	--	--
5. योग (3+4)	--	--
6. कुल प्राप्ति (2+5)	1157338	1157338
7. व्यय	--	--
8. अंतशेष (6-7)	1157338	1157338

6. रोकड़ बही (13वॉं वित्त आयोग)

1. वर्ष	2010-11	2011-12
2. प्रारंभिक शेष	--	1200000
3. अनुदान	1200000	2825000
4. ब्याज आदि	--	3354
5. योग (3+4)	1200000	2828354
6. कुल प्राप्ति (2+5)	1200000	4028354
7. व्यय		2266734
8. अंतशेष (6-7)	1200000	1761620

12वॉं वित्त तथा 13वॉं वित्त की राशि बैंक ऑफ इंडिया के खाता सं0 SB 26083 में रखा गया था।

रोकड़ बहियों तथा बैंक पासबुक में अन्तर :-

(1157338+1761620) -800998 = ₹2117960/-

7. रोकड़ बही (नगर पंचायत कोष)

1. वर्ष	2010-11	2011-12
2. प्रारंभिक शेष	2441165	1557188
3. अनुदान		
4. ब्याज आदि	1553827	3967939
5. योग (3+4)	1553827	3967939
6. कुल प्राप्ति (2+5)	3994992	5525127
7. व्यय	2437804	3537380
8. अंतशेष (6-7)	1557188	1987747

बैंक पास बुक के अनुसार अंतशेष(31.3.12) :-रू01737747.40

(बैंक ऑफ इंडिया, मनेर A/C -440410100016600)

रोकड़ बही तथा बैंक पासबुक में अन्तरः-

1987747-1737747.40=₹249999.60/-

8.रोकड़ बही (स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना)

1. वर्ष	2010-11	2011-12
2. प्रारंभिक शेष	576531	596853
3. अनुदान		
4. ब्याज आदि	20322	63593
5. योग (3+4)	20322	63593
6. कुल प्राप्ति (2+5)	596853	660446
7. व्यय		40000
8. अंतशेष (6-7)	596853	620446

बैंक पास बुक का अंतशेष (31.3.12) :-: ₹620446/-

(PNB, मनेर खाता सं0 32122)

9. रोकड़ बही (मैचिग ग्रांट)

1. वर्ष	2010-11	2011-12
2. प्रारंभिक शेष	412291	884680
3. अनुदान		
4. ब्याज आदि	489602	499530
5. योग (3+4)	489602	499530
6. कुल प्राप्ति (2+5)	901893	1384210
7. व्यय	17213	
8. अंतशेष (6-7)	884680	1384210

10. रोकड़ बही (शुष्क शौचालय)

वर्ष	2010-11	2011-12
प्रारंभिक शेष	16381750	11886990
अनुदान	5505240	
ब्याज आदि		
योग (3+4)	5505240	

कुल प्राप्ति (2+5)	21886990	11886990
व्यय	10000000	
अंतशेष (6-7)	11886990	11886990

मैंचिग ग्रांट तथा शुष्क शौचालय की रोकड़ बहियों का कुल अंतशेष (31.3.12):- रू0 13271200/-(1384210+11886990)

बैंक पासबुक का अंतशेष (31.3.12):- ₹13271200/-
(बैंक ऑफ इंडिया, मनेर A/C SB- 26082)

लेखा परीक्षा टिप्पणीः-

1. प्रशासनिक भवन निर्माण तथा बी0पी0एल के रोकड़ बहियों की राशियाँ बैंक ऑफ इंडिया, मनेर के खाता सं0 22914 में रखी गई है। इन मदों के रोकड़ बहियों के अंतशेषों (31.3.12) तथा बैंक पास बुक के अंतशेष (31.3.12) में ₹109 का अन्तर पाया गया। इस अन्तर का कारण स्पष्ट किया जाय तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।
2. 12वाँ वित्त आयोग तथा 13वाँ वित्त आयोग की रोकड़ बहियों की राशियों को बैंक ऑफ इंडिया, मनेर के खाता सं0 SB 26083 में रखा गया है। इन मदों के अंतशेषों तथा बैंक पासबुक के अंतशेष (31.3.12) में ₹2117960 का अंतर पाया गया। इतनी बड़ी अंतर वित्तीय अनियमितता को द्योतक है। अतः इसकी जाँच कर अंतर का कारण अगले लेखा परीक्षा में स्पष्ट किया जाय।
3. नगर पंचायत कोष की रोकड़ बही के अंतशेष (31.3.12) तथा बैंक पास बुक के अनुसार अंतशेष (31.3.12) में ₹249999.60/- का अन्तर पाया गया। इसकी जाँच कर अंतर का कारण पता किया जाय तथा परिणाम के बारे में सूचित किया जाय।
4. नगर पंचायत कोष (समिति कोष) के रोकड़ बही के अवलोकन में पृष्ठ सं0 34 (दिनांक 31.3.12) पर भुगतान पक्ष में ₹26047 कैश इन

हैंड के रूप में पाया गया तथा इस राशि को दिनांक 30.4.11 को प्राप्ति पक्ष में दिखाया गया। यह अस्थाई दुर्विनियोजन है।

5. मैचिंग ग्रॉंट तथा शुष्क शौचालय की राशियों को एक ही बैंक खाता (बैंक ऑफ इंडिया, मनेर A/C SB 26082) में रखा गया था जिससे दोनों मदों में प्राप्त बैंक सूद की राशियों की सही-सही गणना करना संभव नहीं था। अतः दोनों मदों की राशियों को अलग-अलग बैंक खातों में रखा जाय।
6. मैचिंग ग्रॉंट मद में दिनांक 30.3.11को ₹48,63,540/- राशि प्राप्त हुई। लेकिन इस राशि को मैंचिग ग्रांट के रोकड़ बही के बदले पी0एल0खाता के रोकड़ बही में दिखाया गया।
7. मैचिंग ग्रॉंट के रोकड़ बही के पृष्ठ सं0 15 पर प्राप्ति पक्ष में ₹12294/- आयकर की राशि दिखाया गया था। इस राशि को आयकर विभाग में तत्काल जमा कराया जाय।
8. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की राशि से दिनांक 16.02.12 को नगर प्रबंधक को 2 माह के वेतन के रूप में ₹40000 का भुगतान किया गया तथा इतनी ही राशि दिनांक 30.03.12 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की रोकड़ बही में जमा दिखाया गया। वेतन पहले दिया जाना तथा वेतन की राशि खाता में बाद में जमा करना निधि का अस्थायी विचलन था।
9. वित्तीय वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के तहत कोई राशि को व्यय नही किया गया तथा दिनांक 31.3.12 को अंतशेष ₹620446 विगत वर्ष से पड़ी हुई पाई गई। यदि इस अनुदान राशि की आवश्यकता न हो तो उसे स्वीकृति पदाधिकारी को वापस किया जाय।
10. दिनांक 5.3.10 से 7.9.10, 9.9.10 से 5.3.11, 7.3.11 से 4.9.11 6.9.11 से 15.2.12 17 दिनांक 17.2.12 से 29.3.12 तथा दिनांक 31.3.12 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की रोकड़ बही में संव्यवहार के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई थी।
11. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना की रोकड़ बही में प्रविष्टयों का सत्यापन कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया था।

11. रोकड़ बहियों में त्रुटियाँ:-

1. रोकड़ बहियों के व्यय प्रभाग में प्रमाणक संख्या नहीं लिखा गया था।
2. माह/वर्ष के अन्त में अंतशेष का न तो विश्लेषण किया गया था और न ही उसका बैंक शेष से समाधान किया गया था।
3. वर्ष के अन्त में प्राप्ति व व्यय का मासिकवार वार्षिक लेखा तैयार नहीं किया गया था।
4. नगर पंचायत के सक्षम पदाधिकारियों द्वारा आंतरिक जाँच नहीं की गई थी।
5. रोकड़ बहियों के प्राप्ति एवं व्यय प्रभाग में प्राप्ति एवं व्यय का वर्गीकरण न तो दर्शाया गया था और न ही उन दोनों का प्रयोजन दिखाया गया था।

12.निधि का अवरोधन:-

12वाँ वित्त तथा 13वाँ वित्त से संबंधित रोकड़ बहियों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि नगर पंचायत के पास वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2011-12 तक 12वाँ वित्त की ₹1157338/- राशि तथा वित्तीय वर्ष 2011-12 में 13वाँ वित्त की ₹1761620/- राशि अव्यवहृत पड़ी हुई थी। इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

अतः उक्त योजनाओं कुल राशि रू0 2918958/- की व्यय नहीं किये जाने से उक्त योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभ से आम जनता को वंचित रखा गया।

13. रोकड़ बही की राशि का बैंक पासबुक में दर्ज नहीं होना तथा बैंक पासबुक की राशि का रोकड़ बही में दर्ज नहीं होना:-

नगर पंचायत, मनेर द्वारा उपलब्ध कराये गये समिति कोष की रोकड़ बही का उसके बैंक पासबुक (बैंक ऑफ इंडिया-खाता सं0 440410100016600) से मिलान करने पर रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष की राशि ₹1147690/- तथा भुगतान पक्ष की राशि ₹6,48,397/- बैंक पासबुक के क्रमशः प्राप्ति पक्ष एवं भुगतान पक्ष में नहीं पाया गया। साथ ही बैंक पासबुक के प्राप्ति पक्ष की राशि ₹10,52,298/- तथा भुगतान पक्ष

190

की राशि ₹780304/- रोकड़ बही के कमशः प्राप्ति पक्ष एवं भुगतान पक्ष में नहीं पाया गया। विस्तृत विवरण परिशिष्ट IV पर है। इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अतः उक्त स्थिति की जाँच करायी जाय तथा जाँच के फलाफल से इस कार्यालय को अवगत कराया जाये।

14. विविध रसीदों से प्राप्त राशियाँ बैंक पास बुक में न पाया जानाः-

नगर पंचायत, मनेर के विविध रसीदों का मिलान रोकड़ बही एवं बैंक पासबुक से किया गया। मिलान के कम में कुल ₹2,28,000 रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष में प्रविष्ट पाया गया लेकिन बैंक पासबुक में प्रविष्टयाँ नहीं पाई गई। (परिशिष्ट V) इस संबंध में नगर पंचायत द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

उक्त राशि का गबन/दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त राशि के बारे में उच्चस्तरीय जाँच कराकर फलाफल से इस कार्यालय को अवगत कराया जाये।

15. विविध रसीदों से प्राप्त राशि से कम जमा ₹0.03लाखः-

नगर पंचायत, मनेर के विविध रसीदों को रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक से मिलान के कम में ₹2722/- जमा नहीं पाया गया। (परिशिष्ट VI) अतः इस राशि की वसूली संबंधित व्यक्ति से करके नगर कोष में जमा कराया जाय तथा इस कार्यालय को सूचित किया जाय।

16. बकाया होल्डिंग कर इत्यादि की वसूली नहीं किया जाना-₹18.33लाख

नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 से संबंधित होल्डिंग कर इत्यादि की माँग तथा जमा पंजी उपलब्ध नहीं कराया गया। नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत में कुल 19 वार्ड है जिसमें सिर्फ 01से 11 वार्ड तक ही कर निर्धारण का कार्य हुआ है तथा शेष वार्ड में कर निर्धारण का कार्य जारी है।

वार्ड सं. 01 से 11 तक का वित्तीय वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 की होल्डिंग कर इत्यादि से संबंधित माँग, जमा एवं बकाया विवरणी उपलब्ध कराया गया। विवरण परिशिष्ट VII पर है।

विवरणी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि मार्च 2012 तक नगर पंचायत का होल्डिंग कर, जल कर, ट्वालेट कर, शिक्षा उपकर तथा स्वास्थ्य उपकर के रूप में कुल ₹1832998.87/- बकाया था। उक्त बकाया की वसूली न किये जाने का कारण लेखापरीक्षा को नहीं बताया गया।

नगर पंचायत प्रशासन को सलाह दी जाती है कि उक्त बकाया की वसूली तथा शेष वार्ड सं. 12 से 19 तक में कर निर्धारण के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाय।

17. एच. रसीदों से प्राप्त राशि का नगर पंचायत कोष में कम जमा/जमा न किया जाना :-

नगर पंचायत के भंडारण पंजी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि तहसीलदार श्री धनंजय चौधरी को एच. रसीद का रसीद सं. 1 से 200 निर्गत किया गया था। उनके द्वारा रसीद सं 1 से 49 के द्वारा कुल ₹11564.50/- की वसूली की गई। विवरण परिशिष्ट VIII पर है। लेकिन उनके द्वारा नगर पंचायत कोष में केवल ₹11204/- ही जमा किया गया। अर्थात ₹360.50/- कम जमा किया गया।

उक्त के अतिरिक्त एच. रसीद सं 50 से 197 द्वारा कुल ₹34657.97/- की वसूली की गई। विवरण परिशिष्ट IX पर है। लेकिन इस राशि को नगर पंचायत कोष में जमा नहीं कराया गया।

अतः श्री धनंजय चौधरी तहसीलदार से कुल ₹35018.47/- की वसूली कर तत्काल नगर पंचायत कोष में जमा कराया जाय तथा इस संबंध में स्थानीय लेखा-परीक्षक बिहार पटना को सूचित किया जाय।

18. अल्प लागत स्वच्छता योजना (आई0एल0सी0एल0) के अन्तर्गत शुष्क शौचालयों को जलवाही शौचालय में परिवर्त्तन/ निर्माणः-

नगर पंचायत, मनेर द्वारा आई0 एल0 सी0 एल0 से संबंधित उपलब्ध कराये गये संचिका के नमूना जाँच के क्रम में ज्ञात हुआ कि नगर पंचायत, मनेर में 319 शुष्क शौचालय को दो गढ्ढेवाले जलवाही शौचालय में

88

परिवर्त्तन करना तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए 3210 नये शौचालयों का निर्माण किया जाना था।

उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय व्यवस्था निम्नवत निर्धारित की गई थी:-

1. भारत सरकार का अनुदान-75%
2. राज्य सरकार का अनुदान-15%
3. लाभान्वितों का अंशदान-10%

भारत सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत की उपरी सीमा ₹10000/- दो गढ्ढेवाले जलवाही शौचालय (ऊपरी निर्माण सहित) की पूर्ण इकाई के लिए निर्धारित की गई थी। इस प्रकार, पूर्ण इकाई के निर्माण के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा कुल ₹9000/- दिया जाना था।

केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा नगर पंचायत, मनेर को दी गई अनुदान का विवरण निम्नलिखित है:-

कम सं0	पत्रांक सं0 एवं तिथि/चेक सं0	राशि(₹)
1.	न0वि0एवंआ0वि0 के पत्रांक 828/17.10.08, 349024/ 17.10.08	317610
2.	- 349028/30.10.08	2392500
3.	न0वि0एवंआ0वि0 के पत्रांक 338/21.05.09, 349032/20.05.09	24075000
4.	न0वि0एवंआ0वि0 के पत्रांक 273/27.04.10, 366619/26.04.10	5381725
5.	न0वि0एवंआ0वि0 के पत्रांक 272/22.04.10, 366609/21.04.10	123515
	कुल	32290350

उक्त योजना का सर्वे एवं डी0पी0आर0 बनाने के लिए तथा योजना के कार्यान्वयन के लिए समाधान सेवा समिति, पटना-13 नामक गैर सरकारी संस्था का चयन किया गया तथा दिनांक 21.10.2008 को एकरारनामा किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य दिनांक 2.10.09 तक पूर्ण किया जाना था। योजना के कार्यान्वयन के लिए समाधान सेवा समिति को समय-समय पर किये गये भुगतान की विवरणी निम्नलिखित है:-

कम सं0	चेक सं0	दिनांक	राशि	उद्देश्य
1.	0026701	21.10.08	317610	DPR बनाने के लिए
2.	0026703	11.12.08	717750	निर्माण/परिवर्त्तन कार्य के लिए
3.	0026708	18.03.09	717750	तथैव
4.	0026709	17.04.09	500000	तथैव
5.	0026710	24.06.09	5150250	तथैव
6.	0026714	14.09.09	3000000	तथैव
7.	000243	21.04.10	3500000	तथैव
8.	000244	11.05.10	6500000	तथैव
		कुल	20403360	

अंकेक्षण आपत्तियाँः–

1. 319 शुष्क शौचालय को जलवाही शौचालय में परिवर्त्तन करने तथा 3210 नये शौचालयों का निर्माण करने के लिए समाधान सेवा समिति का चयन किस आधार पर तथा किस प्रकिया के अनुसार की गई यह लेखा परीक्षा को स्पष्ट नहीं किया गया
2. कार्य निर्धारित तिथि 2.10.09 तक सम्पन्न नहीं कराने पर एकरारनामा में दण्डात्मक प्रावधान नहीं किये जाने का कारण लेखा परीक्षा को स्पष्ट नहीं किया गया।
3. संचिका के अनुसार अगस्त 2012 तक मात्र 1417 शौचालयों का परिवर्त्तन/निर्माण किया गया था। इस प्रकार समाधान सेवा समिति द्वारा 1417 शौचालयों पर किया गया कुल व्यय ₹ 12753000(1417X 9000) होता है।

   जबकि नगर पंचायत द्वारा प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजे गये सूचना (26.08.11) के अनुसार समाधान

186

सेवा समिति को कुल ₹20403360/- राशि दी गई थी एवं उनके द्वारा योजना कार्यान्वयन पर कुल ₹13083000/- व्यय किया गया तथा ₹7320360/- राशि समाधान सेवा समिति के पास बची हुई थी। इसके अतिरिक्त 66 शौचालयों को in progress दिखाया गया था। 2 साल से अधिक समय से शौचालयों का निर्माण/परिवर्त्तन का कार्य बंद है। लम्बी अवधि के व्यतीत हो जाने के कारण 66 शौचालयों के निर्माण/परिवर्त्तन पर किया गया कार्य निष्फल हो गया था। इस प्रकार समाधान सेवा समिति के यहाँ नगर निकाय का ₹7650360.00 (20403360-12753000) पड़ा हुआ था।

4. योजना से संबंधित सर्वे तथा डी0पी0आर0 अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं कराया गया।
5. 1098 लाभार्थियों का चयन किस आधार पर किया गया यह लेखा परीक्षा को स्पष्ट नहीं किया गया।

अतः समाधान सेवा समिति के पास बची हुई राशि ₹7650360.00 की वसूली दंडात्मक ब्याज के साथ जिम्मेवार व्यक्ति(यों)/समाधान सेवा समिति से की जाय। इसके अतिरिक्त, समाधान सेवा समिति के साथ किया गया एकरारनामा त्रुटिपूर्ण था तथा समिति को लाभ पहुँचाने वाला था। अतः उक्त योजना की उच्चस्तरीय जाँच(कार्यों के भौतिक निरीक्षण के साथ) की जाय। योजना की उच्चस्तरीय जाँच होने तथा उपर्युक्त आपत्तियों के संबंध में संतोषप्रद स्पष्टीकरण दिये जाने तक शेष राशि ₹12753000/- आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

19. श्रम उपकर की कटौती नहीं किया जाना

बिहार सरकार (श्रम संसाधन विभाग) के बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के निदेश के आलोक में लेखा वर्ष 2007-08 से सभी प्रकार के निर्माण

कार्यो से संबंधित कार्य विपत्रों से कुल लागत का एक प्रतिशत राशि मजदूर उपकर के रूप में स्त्रोत पर कटौती कर निर्माण श्रमिकों के लिये कल्याणकारी कार्यो के संचालन हेतु उपयुक्त कल्याण बोर्ड में जमा करने का

प्रावधान है। परन्तु उपलब्ध कराये गये बी. आर.जी.एफ.(2010-11) तथा राज्य सम्पोषित योजना (2010-11) से संबंधित योजनाओं की विवरणियों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कियान्वयनित पूर्ण योजनाओं से ₹68326.55/- की श्रम उपकर की कटौती नहीं की गई। परिणामस्वरूप उपरोक्त कल्याण बोर्ड को ₹68326.55/- की राशि नहीं भेजी जा सकी।

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट X पर है) ।

अतः श्रम उपकर के रूप में कुल ₹68326.55/- (कुल भुगतान की गई राशि का 1%) की वसूली संबंधित उत्तरदायी व्यक्तियों से की जाय तथा कल्याण बोर्ड को भेजी जाय तथा इसे अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

20. रॉयल्टी, वैट इत्यादि की राशि संबंधित विभाग में जमा नहीं कराया जानाः- ₹5.31लाख

नगर पंचायत, मनेर द्वारा 12वाँ वित्त, बी.आर.जी.एफ. तथा राज्य सम्पोषित योजनाओं से संबंधित वित्तीय वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 की योजनओं के विवरणी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि रॉयल्टी, वैट इत्यादि की कटौती की गई थी। विवरण निम्नलिखित है-:

कम सं.	मद	रॉयल्टी की राशि	वैट की राशि	टी.डी.एस.	श्रम उपकर
1.	12वाँ वित्त(2011-12)	10026	14966	22574	10283
2.	बी.आर.जी. एफ2011-12)	47792	79229	135906	24939
3.	राज्य सम्पोषित योजना(2011-12)	37169	57801	90485	-
	कुल	94987	151996	248965	35222

लेकिन उक्त राशियों को संबंधित विभाग में जमा नहीं कराया गया।

अतः उक्त कुल ₹5,31,170/- राशि संबंधित विभाग में तत्काल जमा कराया जाय तथा इस संबंध में अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

184

21. योजना में अधिक भुगतान ₹0.07 लाख :–

नगर पंचायत, मनेर द्वारा उपलब्ध कराये गये विभिन्न योजनाओं के विवरणियों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि बारवहीं वित्त आयोग की योजना सं0 01/11–12 में मापी राशि ₹170138.00 के विरूद्ध संवेदक श्री सुदेश्वर सिंह को ₹177138.00 निम्नवत भुगतान किया गया।

रॉयल्टी	₹2071.00
वैट	₹3078.00
आयकर	₹3869.00
लेबर सेस	₹1771.00
भुगतेय राशि	₹166349.00
कुल	₹177138.00

इस प्रकार संवेदक को ₹7000.00 अधिक भुगतान किया गया।

नगर पंचायत द्वारा उक्त योजना से संबंधित संचिका उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही इस संबंध में कोई उत्तर दिया गया।

अतः उक्त अधिक भुगतान की राशि ₹7000.00 की वसूली संबंधित व्यक्तियों से करके नगर पंचायत के संबंधित खाते में जमा कराया जाय।

22. बिना पंजीकरण शुल्क जमा किये संचार मीनारों की स्थापनाः–

नगर पंचायत मनेर द्वारा संचार मीनार से संबंधित उपलब्ध कराये गये संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि नगर पंचायत क्षेत्रांतर्गत कुल आठ संचार मीनार बिना पंजीकरण शुल्क जमा किये स्थापित था। विस्तृत विवरणी परिशिष्ट XI पर है।

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अधिसुचित बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 के 6(2) के अनुसार संरचना नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित टावर को 6(1) में वर्णित पंजीकरण फीस जमा करना होगा तथा नवीकरण फीस टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्षों की संख्या के आधार पर लिया जायेगा।

अतः सभी संचार मीनारों से उक्त नियमावली के 6(1)(iii) के अनुसार पंजीकरण तथा वार्षिक नवीकरण फीस के रूप में रू0 30000 प्रति टावर की दर से कुल ₹240000(30000 x 8) सभी आठ संचार मीनारों के संबंधित कंपनी / एजेन्सी से वसूलकर नगर पंचायत कोष में जमा कराया जाय। इसके अतिरिक्त, सभी संचार टावरों की स्थापना की तिथि ज्ञात कर वार्षिक नवीकरण शुल्क के तौर पर ₹8000/- प्रति वर्ष प्रति टावर की दर से वसूल कर नगर पंचायत कोष में जमा कराया जाय तथा इस संबंध में लेखापरीक्षा को सूचित किया जाय।

23. पूर्व वर्ष की बंदोबस्ती से कम राशि पर सैरातों की बंदोबस्ती करने से राजस्व की हानिः-

नगर पंचायत मनेर द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-2011 एवं 2011-2012 के सैरातों से संबंधित उपलब्ध कराये गये संचिकाओं के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि नगर पंचायत के पास कुल चार सैरात थे। इन सैरातों के बंदोबस्ती का विवरण निम्नलिखित हैः-

क्रम संख्या	सैरातों का नाम	2010-2011 में बंदोबस्ती की राशि	2011-2012 में बंदाबस्ती की राशि	2010-2011 की अपेक्षा राजस्व की हानि
1.	सुलभ शौचालय	38000	42000	-
2.	सड़कों के किनारे खुदरा विकेता	611000	300000	311000
3.	बस एवं जीप बंदोबस्ती	1839000	1100000	739000
4.	वाहन पड़ाव प्रवेश बिन्दु	196000	360000	-
			कुल	1050000

उक्त विवरण से स्पष्ट है के वित्तीय वर्ष 2010-2011 की अपेक्षा वर्ष 2011-12 में सड़कों के किनारे खुदरा विकेता तथा बस एवं जीप की बंदोवस्ती से क्रमशः ₹311000 तथा ₹739000 कम राशि प्राप्त हुई। इस प्रकार कुल ₹1050000 की राजस्व की हानि नगर पंचायत को हुई। इस हानि का कारण अंकेक्षण दल को नहीं बताया गया।

182

अतः नगर पंचायत पशासन को सलाह दी जाती है कि भविष्य में सैरातों के बंदोबस्ती के के लिए आवश्यक तथा अधिकतम प्रयास किये जाय जिससे कि राजस्व की हानि से बचा जा सके।

24. बंदोवस्तधारी से मुद्रांक शुल्क की वसूली नहीं:-

वित्तीय वर्ष 2010-2011 तथा 2011-2012 में नगर पंचायत द्वारा चार सैरातों की बंदोवस्ती की गई।

राज्य सरकार के पत्रांक 1920/आर ई/मुख्य सचिव दिनांक 14.08.2002 तथा सचिव सह आई जी. निबंधन, बिहार सरकार के पत्रांक 549 दिनांक 15.03.05 के अनुसार बंदोबस्तीधारी से बंदोवस्ती की राशि का 3% के मुद्रांक 'शुल्क के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जाना है। लेकिन स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा नहीं किया गया। इस प्रकार सरकार को मुद्रांक 'शुल्क के रूप में कुल रू0 134580 अप्राप्त रहा। विवरण निम्नलिखित है:-

क0 सं0	सैरातों का नाम	बंदोबस्ती की राशि 2010-11	2010-11 में मुद्रांक शुल्क की अप्राप्त राशि	बंदोबस्ती की राशि 2011-12	2011-12 में मुद्रांक शुल्क की अप्राप्त राशि
1.	सुलभ शौचालय	38000	1140	42000	1260
2.	सड़कों के किनारे खुदरा विकेता	611000	18330	300000	9000
3.	बस एवं जीप बंदोबस्ती	1839000	55170	1100000	33000
4.	वाहन पड़ाव प्रवेश बिन्दु	196000	5880	360000	10800
कुल		2684000	80520	1802000	54060

उक्त कुल राशि ₹134580(₹80520 +₹54060) की वसूली संबंधित व्यक्ति/बंदोबस्तधारी से करके सरकारी कोष में जमा कराया जाय।

25. ट्रैक्टर का लौग बुक अप्रस्तुतः-

नगर पंचायत कोष (बैंक ऑफ इंडिया, मनेर बचत खाता संख्या-16600) के रोकड़ बही के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि वित्तीय वर्ष 2010-2011 तथा 2011-2012 में ट्रैक्टर के परिचालन में डीजल पर कुल ₹94183

का व्यय किया गया। परन्तु ट्रैक्टर परिचालन से संबंधित लौग बुक लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में डीजल खरीद पर कृत व्यय की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी (विवरण परिशिष्ट XII पर अंकित है।)

ट्रैक्टर परिचालन से संबंधित लौग बुक अगले लेखापरीक्षा में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाय। तब तक डीजल खरीद पर कुल व्यय ₹94183 अंकेक्षण आपत्ति के अन्तर्गत रखी जाती है।

26. कार्यपालक से वार्त्तालाप

अंकेक्षण के दौरान कार्यपालक पदाधिकारी से दिनांक 20.10.12 को वार्त्तालाप हुई।

27. लेखापरीक्षा का परिणाम

1	लेखापरीक्षा के दौरान जमा की गई राशि	शुन्य
2	लेखापरीक्षा द्वारा वसूली हेतु सुझाई गई राशि	₹81,38,007.02
3	आपत्ति के अधीन रखी गई राशि	₹1,28,47,183

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट सं0 XIII पर)

28. सामान्य अभियुक्ति

नगर पंचायत, मनेर के लेखाओं में काफी सुधार की आवश्यकता थी। अति आवश्यक पंजी/अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया अथवा अधूरा छोड़ दिया गया। संग्रह का प्रतिशत काफी कम था। नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी।

बकाया राशि की वसूली करने हेतु आवश्यक कदम उठाया जाय और अनुदानों को समय–सीमा रहते खर्च किया जाय। लंबित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का जवाब जल्द दिया जाय अथवा आरोपित लेखा बिन्दुओं को निष्पादन कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।–

हस्ता0–
नित्येश प्रताप सिंह
[redacted]
(स0 ले0 प0 अ0)

–अनुमोदित–

उपमहालेखाकार(एस0 एस0.I)
–सह–
स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार